

## फर्द अहकाम

### कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नारायण

विपक्षी : श्री हरिराम

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 10/22

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण  | हस्ताक्षर पाली तथा सूचनाएं जारी की गईं |
|---------|--|--|
|         | <p>दिनांक : 21.07.2023</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 2, 4, 5 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मौरूस के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा हकत्याग से भूमि क्रय करना बताकर विपक्षीगण को पाबंद कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मौरूस खातेदार होने से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि प्रकरण में विपक्षीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;"><b>—: आदेश :—</b></p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.09.2022 हटाई जाती हैं। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">( श्रीकान्त व्यास )<br/>सहायक कलक्टर<br/>(SDO) मावली</p> |  |

